कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड
विश्वकर्मा भवन, प्रथम तल, सुभाष रोड़, सचिवालय परिसर, देहरादून– 248001
Email ID- ceo_uttaranchal@eci.gov.in
फोन न0 (0135) – 2713760, 2713551
फैक्स न0 (0135) – 2713724

संख्याः 434 /XXV–12(1–5)/2008 देहरादूनः दिनांक 19 मार्च, 2018.

सेवा में,

लोक सूचना अधिकारी,
जिला निर्वाचन कार्यालय
देहरादून।

विषयः– **सूचना के अधिकार के अन्तर्गत चाही गयी सूचनाओं से संबंधित आवेदन पत्र का हस्तान्तरण।**

महोदय,

उपरोक्त अनुभाग अधिकारी/सहायक लोक सूचना अधिकारी कार्यालय, राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड के पत्र संख्या– 1186/रा0नि0आ0–1/2278/2018 दिनांक 17–03–2018 के साथ संलग्न श्री खुशवन्त सिंह पुत्र श्री अमर सिंह, विचाराधीन बन्दी, जिला कारागार देहरादून, उत्तराखण्ड के सूचना के अधिकार संबंधी प्रार्थना पत्र दिनांक 12–03–2018 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से उनके द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत सूचना उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया है, की प्रति इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि आवेदक द्वारा चाही गयी वांछित सूचना आपके कार्यालय के संबंधित है, जिसे सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 की धारा 6 (3) के अन्तर्गत अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु हस्तान्तरित किया जा रहा है।

अतः कृपया नियमानुसार वांछित सूचना आवेदक को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्न–यथोपरि।

भवदीय,

B.S. Rawat
(बी0एस0रावत)
अनुभाग अधिकारी एवं
लोक सूचना अधिकारी

प्रतिलिपि श्री खुशवन्त सिंह पुत्र श्री अमर सिंह, विचाराधीन बन्दी, जिला कारागार देहरादून, उत्तराखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।

B.S. Rawat
(बी0एस0रावत)
अनुभाग अधिकारी एवं
लोक सूचना अधिकारी

rti 2017

5148
19/3/18 पंजीकृत डाक से

राज्य निर्वाचन आयोग
उत्तराखण्ड

पत्रांक : / रा.नि.आ.-1/2278/2018

सत्यमेव जयते

दिनांक 17/3/2018

सूचना का अधिकार

राज्य निर्वाचन आयोग

श्री खुशवन्त सिंह पुत्र श्री अमर सिंह,
विचाराधीन बन्दी,
जिला कारागार, देहरादून।

कृपया अपने सूचना का अनुरोध–पत्र दिनांक 12 मार्च 2018 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो राज्य निर्वाचन आयोग में दिनांक 14.03.2018 को प्राप्त हुआ है। आपके उक्त अनुरोध–पत्र में उल्लिखित बिन्दु संख्या–08 से संबंधित सूचना इस पत्र में उल्लिखित है एवं बिन्दु संख्या–07 से संबंधित आपके अनुरोध–पत्र की छायाप्रति प्रमाणित कर पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित की जा रही है तथा **बिन्दु संख्या–01 से 06** की सूचना आपको उपलब्ध कराने हेतु आपके सूचना अनुरोध–पत्र दिनांक 12.03.2018 की छायाप्रति संलग्न कर अनुभाग अधिकारी/लोक सूचना अधिकारी, कार्यालय–मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड देहरादून को अंतरित किया जा रहा है।

इस आदेश के अन्तर्गत दी गयी जानकारी से यदि असन्तुष्ट हों, तो आदेश प्राप्ति की तिथि से 30 दिनों के अन्दर विभाग के अपीलीय अधिकारी जिनका पता निम्नवत् है, के समक्ष अपील दायर कर सकते हैं:–

श्री बी0पी0 कोठारी,
अनु सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग,
उत्तराखण्ड।
कार्यालय समय:– पूर्वान्ह 9:30 बजे, से
सायं 6:00 बजे तक (अवकाश दिवसों को छोड़कर)
दूरभाष नं0–0135–2670998 मो0 7534820707
संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

(प्रभात कुमार सिंह)
सहायक आयुक्त/
लोक सूचना अधिकारी।
मो0नं0–7534820739

संख्या–1186/रा0नि0आ0–1/2278/2018 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि:– अनुभाग अधिकारी/लोक सूचना अधिकारी, कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड देहरादून को अनुरोध–पत्र दिनांक 12.03.2018 की छायाप्रति संलग्न कर इस आशय से प्रेषित है कि उक्त अनुरोध–पत्र के **बिन्दु संख्या–01, से 06** में मांगी गयी सूचना आपके विभाग से संबंधित है। कृपया वांछित सूचना अनुरोधकर्ता को अपने स्तर से नियमानुसार उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

(प्रभात कुमार सिंह) 17.3.18
सहायक आयुक्त/
लोक सूचना अधिकारी।

5. यह कि पहचान पत्र संख्या ZSJ[redacted]0287185 को किस नाम व पते पर जारी किया गया कि सम्पूर्ण एवं विस्तृत जानकारी पंजीकृत डाक द्वारा प्रार्थी को प्रदान कराने की कृपा करें।
6. यह कि पहचान पत्र संख्या–ZSJ[redacted]0287185 को पहली बार जारी करते समय प्रयोग में लाये गये सभी प्रपत्रों की सत्यापित प्रतियां पंजीकृत डाक द्वारा प्रार्थी को प्रदान कराने की कृपा करें।
7. यह कि कृपया प्रार्थी को सूचना प्रदान कराते हुए इस आवेदन पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि, सूचना पत्र के संग संलग्नक कर प्रार्थी को प्रदान कराने की कृपा करे।
8. यह कि कृपया अपने कार्यालय के सूचना देने के लिये नियुक्त लोक सूचना अधिकारी एवं प्रथम अपीलिया लोक सूचना अधिकारी दोनो का नाम पद और अन्य जानकारी जैसे कार्य करने का समय इत्यादि एवं पत्र व्यवहार के पते की सूचना को भी प्रदान कराने की कृपा करें।
9. यह कि लोक सूचना नियमानुसार दस रूपये का पोस्टल आर्डर नम्बर 37F 895169 दस रूपये फीस के रूप में संलग्न किया गया है।

दिनांक : 12-Mar-18

प्रार्थी K Singh

खुशवन्त सिंह पुत्र श्री अमर सिंह
विचाराधीन बन्दी, जिला कारागार,
देहरादून, उत्तराखण्ड

432
14/3/18

सूचना प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र

सेवा में,

श्रीमान लोक सूचना अधिकारी,
राज्य निवार्चन आयोग, देहरादून,
उत्तराखण्ड

विषयः–सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत सूचना प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र।

आदरणीय महोदय जी,

ससम्मान निवेदन इस प्रकार से है कि कृपया अपने कार्यालय द्वारा निम्नलिखित सूचनाएें लिखित रूप में सूचना प्रदान कराने की निर्धारित अवधि 30 दिन के अन्दर प्रदान कराने की कृपा करें।

1. यह कि पहचान पत्र सं०–IBG0345686 को पहली बार किस दिनांक को जारी किया गया कि सम्पूर्ण एवं विस्तृत जानकारी पंजीकृत डाक द्वारा प्रार्थी को प्रदान कराने की कृपा करें।
2. यह कि पहचान पत्र संख्या IBG0345686 को किस नाम व पते पर जारी किया गया कि सम्पूर्ण एवं विस्तृत जानकारी पंजीकृत डाक द्वार प्रार्थी को प्रदान कराने की कृपा करें।
3. यह कि पहचान पत्र संख्या– IBG0345686 को पहली बार जारी करते समय प्रयोग में लाये गये सभी प्रपत्रों की सत्यापित प्रतियां पंजीकृत डाक द्वारा प्रार्थी को प्रदान कराने की कृपा करें।
4. यह कि पहचान पत्र संख्या– ZSJ[redacted]0287185 का पहली बार किस दिनांक को ज़ारी किया गया कि सम्पूर्ण एवं विस्तृत जानकारी पंजीकृत डाक द्वारा प्रार्थी को प्रदान कराने की कृपा करें।

श्री नवाब
14.3.18 PIO

(प्रभात कुमार सिंह)
सहायक आयुक्त,
राज्य निर्वाचन आयोग
उत्तराखण्ड।

Receiving IPO Rs 10/-
37F 895189
P.I.O
14-3-18

कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड
विश्वकर्मा भवन, प्रथम तल, सुभाष रोड़, सचिवालय परिसर, देहरादून– 248001
Email ID- ceo_uttaranchal@eci.gov.in
फोन न0 (0135) – 2713760, 2713551
फैक्स न0 (0135) – 2713724

प्राप्त 19/3/18

संख्याः 433 / XXV–12(1–5) / 2008 देहरादूनः दिनांक 19 मार्च, 2018.

सेवा में,

श्री रूपेश डिमरी
पाटनी भवन, नियर गढकोटी अस्पताल,
कालेज रोड, पिथौरागढ।

विषयः– <u>सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत चाही गयी सूचना के संबंध में।</u>

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने प्रार्थना पत्र दिनांक 13.03.2018 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से आपके द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत सन्दर्भित सूचना उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया था। इस संबंध में चाही गयी सूचना संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

यदि आप उपरोक्त उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं से सन्तुष्ट न हों तो विभागीय अपीलीय अधिकारी के सम्मुख निम्न पते पर अपील प्रस्तुत कर सकते हैः–

विभागीय अपीलीय अधिकारी एवं
सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड
विश्वकर्मा भवन, प्रथम तल, सुभाष रोड़,
सचिवालय परिसर, देहरादून।

कृपया प्राप्ति स्वीकार करने का कष्ट करें।

संलग्नक– उक्तानुसार ।

भवदीय,

B. S. Rawat

(बी0एस0रावत)
अनुभाग अधिकारी एवं
लोक सूचना अधिकारी

rti 2017

प्राप्त
16/3/18

सूचना अधिकार अधिनियम के तहत् सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र

अनुरोधकर्त्ता का नाम :– रूपेश डिमरी

पत्राचार का पता :– पाटनी भवन, नियर गढ़कोटी अस्पताल,
कालेज रोड, पिथौरागढ़

इच्छित सूचना का स्पष्ट विवरण :–

निर्वाचन विभाग, उत्तराखण्ड सरकार के पत्रांक 937/XXV–24–1(1)/2011, दिनांक 11 सितम्बर 2016 द्वारा विभिन्न जिला निर्वाचन कार्यालयों में अनुसेवक के पद पर कार्यरत कार्मिकों को विभागीय पदोन्नति प्रदान करने से सम्बन्धित समस्त प्राविधानों एवं शासनादेशों की स्पष्ट सूचना प्रदान करें।

संबंधित विभाग का नाम :–मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड सरकार

आवेदन शुल्क जमा करने का प्रमाण :– आई0 पी0 ओ0 रू0 20 24G. 757336

दिनांक : 07/03/2018
13

आवेदक के हस्ताक्षर

उत्तराखण्ड शासन
कार्मिक अनुभाग–2
संख्या–892/XXX(2)/2013 55(42)2004
देहरादूनः 13 अगस्त, 2013

अधिसूचना
प्रकीर्ण

राज्यपाल, "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, "उत्तराखण्ड अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय कर्मचारी वर्ग (सीधी भर्ती) नियमावली, 2004 में अग्रेतर संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैः–

"उत्तराखण्ड अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय कर्मचारी वर्ग (सीधी भर्ती) (संशोधन) नियमावली, 2013

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ	1– (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम "उत्तराखण्ड अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय कर्मचारी वर्ग (सीधी भर्ती) (संशोधन) नियमावली, 2013 है। (2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।
नियम 6 का प्रतिस्थापन	2. "उत्तराखण्ड अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय कर्मचारी वर्ग (सीधी भर्ती) नियमावली, 2004 के नियम 6 में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान नियम के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात–

स्तम्भ–1 **विद्यमान नियम**	**स्तम्भ–2** **एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम**
6. भर्ती का स्रोत– (एक) किसी अधीनस्थ कार्यालय में लिपिक वर्गीय कर्मचारी वर्ग की निम्नतम श्रेणी में 70 प्रतिशत पदों पर भर्ती नियम 9 में यथा उपबंधित शैक्षिक और अन्य उपबन्धों के आधार पर नियम 17 में निर्दिष्ट चयन समिति के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा की जायेगी,	6. भर्ती का स्रोत– (एक) किसी अधीनस्थ कार्यालय में लिपिक वर्गीय कर्मचारी वर्ग की निम्नतम श्रेणी में 70 प्रतिशत पदों पर भर्ती नियम 9 में यथा उपबंधित शैक्षिक और अन्य उपबन्धों के आधार पर नियम 17 में निर्दिष्ट चयन समिति के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा की जायेगी,
(दो) सम्बन्धित अधीनस्थ कार्यालय में लिपिक संवर्ग के निम्नतम श्रेणी के कुल पदों के 25 प्रतिशत रिक्तियां नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा, समय–समय पर जारी	(दो) सम्बन्धित अधीनस्थ कार्यालय में लिपिक संवर्ग के निम्नतम श्रेणी के कुल पदों के 25 प्रतिशत रिक्तियां नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा, समय–समय पर जारी किये गये सरकारी आदेशों

किये गये सरकारी आदेशों के अनुसार उस कार्यालय के समूह घ' के ऐसे कर्मचारियों में से, 15 प्रतिशत जो हाईस्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण हों तथा 10 प्रतिशत जो इण्टरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण हों, पदोन्नति द्वारा भरी जायेंगी;	के अनुसार उस कार्यालय के समूह घ' के ऐसे कर्मचारियों में से, 15 प्रतिशत जो हाईस्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण हों तथा 10 प्रतिशत जो इण्टरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण हों, पदोन्नति द्वारा भरी जायेंगी;
परन्तु यह कि हाईस्कूल उत्तीर्ण श्रेणी के लिए चिन्हित पदों के सापेक्ष पर्याप्त अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की दशा में उन पदों को उच्चतर परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों में से पदोन्नति द्वारा भरा जा सकेगा।	परन्तु यह कि हाईस्कूल उत्तीर्ण श्रेणी के लिए चिन्हित पदों के सापेक्ष पर्याप्त अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की दशा में उन पदों को उच्चतर परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों में से पदोन्नति द्वारा भरा जा सकेगा।
	परन्तु यह और कि चयन वर्ष 2012–13 से 2015–16 तक के लिये अधीनस्थ कार्यालय में लिपिक वर्गीय निम्नतम श्रेणी के कुल पदों के 45 प्रतिशत तक की रिक्तियों को उस कार्यालय के समूह 'घ' के ऐसे कर्मचारियों में से, 25 प्रतिशत जो हाईस्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण हों तथा 20 प्रतिशत जो इण्टमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण हों, पदोन्नति द्वारा निर्धारित चयन प्रक्रिया से भरा जा सकता है ।
(तीन) सम्बन्धित अधीनस्थ कार्यालय में लिपिक संवर्ग के निम्नतम श्रेणी के कुल पदों के 05 प्रतिशत रिक्तियां नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा, उस कार्यालय के वाहन चालकों जो हाईस्कूल की परीक्षा अथवा उससे उच्चतर परीक्षा उत्तीण हों, में से पदोन्नति द्वारा।	(तीन) सम्बन्धित अधीनस्थ कार्यालय में लिपिक संवर्ग के निम्नतम श्रेणी के कुल पदों के 05 प्रतिशत रिक्तियां नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा, उस कार्यालय के वाहन चालकों जो हाईस्कूल की परीक्षा अथवा उससे उच्चतर परीक्षा उत्तीण हों, में से पदोन्नति द्वारा।
टिप्पणी– लिपिक वर्ग के पदों पर भर्ती जिस कार्यालय में होनी हो उस कार्यालय में कार्यरत श्रेणी 'घ' एवं वाहन चालक जो 05 वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण कर चुके हों, पात्रता क्षेत्र में आयेंगे। समूह 'घ' एवं वाहन चालक से पदोन्नति हेतु, लिपिक वर्ग के पदों पर भर्ती के लिए,आरक्षित रिक्तियों पर चयन, श्रेष्ठता के आधार पर एक साधारण परीक्षा लेकर किया जायेगा। परीक्षा में केवल एक प्रश्नपत्र होगा, जिसमें सामान्य हिन्दी, सामान्य ज्ञान एवं सामान्य	**टिप्पणी–** लिपिक वर्ग के पदों पर भर्ती जिस कार्यालय में होनी हो उस कार्यालय में कार्यरत श्रेणी 'घ' एवं वाहन चालक जो 05 वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण कर चुके हों, पात्रता क्षेत्र में आयेंगे। समूह 'घ' एवं वाहन चालक से पदोन्नति हेतु, लिपिक वर्ग के पदों पर भर्ती के लिए, आरक्षित रिक्तियों पर चयन, श्रेष्ठता के आधार पर एक साधारण परीक्षा लेकर किया जायेगा। परीक्षा में केवल एक प्रश्नपत्र होगा, जिसमें सामान्य हिन्दी, सामान्य ज्ञान एवं सामान्य अध्ययन से सम्बन्धित वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे। लिखित

अध्ययन से सम्बन्धित वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे। लिखित परीक्षा अधिकतम 40 अंक की होगी तथा पात्र कर्मचारी की वार्षिक चरित्र पंजिका हेतु 10 अंक होंगे। इस प्रकार चयन परीक्षा कुल 50 अंकों की होगी। जहां टंकक संवर्ग में भर्ती की जानी हो, वहां उपरोक्त के अतिरिक्त 50 अंकों की टंकण परीक्षा भी ली जायेगी। टंकण परीक्षा में 4000 की–डिप्रेशन प्रति घण्टा की गति से कम टंकण करने वाले अभ्यर्थी अर्ह नहीं होंगे। चयन परीक्षा कुल 100 अंकों की होगी;	परीक्षा अधिकतम 40 अंक की होगी तथा पात्र कर्मचारी की वार्षिक चरित्र पंजिका हेतु 10 अंक होंगे। चतुर्थ श्रेणी एवं वाहन चालक पद पर कार्य अनुभव हेतु प्रत्येक वर्ष के लिये 02 अंक दिये जायेंगे तथा कार्य अनुभव के लिये अधिकतम 50 अंक निर्धाति किये जायेंगे । इस प्रकार चयन परीक्षा कुल 100 अंकों की होगी। जहां टंकक संवर्ग में भर्ती की जानी हो, वहां उपरोक्त के अतिरिक्त 50 अंकों की हिन्दी में टंकण परीक्षा भी ली जायेगी। टंकण परीक्षा में 4000 की–डिप्रेशन प्रति घण्टा की गति से कम टंकण करने वाले अभ्यर्थी अर्ह नहीं होंगे। इस प्रकार चयन परीक्षा कुल 150 अंकों की होगी;
परन्तु यह कि उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (पदोन्नति द्वारा भर्ती के लिए मानदण्ड) नियमावली, 2004 के उपबंध इस नियमावली के अधीन की जाने वाली पदोन्नति पर लागू नहीं होंगे।	परन्तु यह कि उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (पदोन्नति द्वारा भर्ती के लिए मानदण्ड) नियमावली, 2004 के उपबंध इस नियमावली के अधीन की जाने वाली पदोन्नति पर लागू नहीं होंगे।

आज्ञा से,

(सुरेन्द्र सिंह रावत)
सचिव।